

मामलों का विवरण

सुधीर सिंह और अन्य बनाम।

उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों का राज्य (2023 की सिविल अपील संख्या 7069) 30
अक्टूबर, 2023

[विक्रम नाथ और अहसानउद्दीन अमानुल्लाह, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए अपीलकर्ताओं के दावे यदि प्रश्न विज्ञापन के समय पूर्व सैनिक होने की पात्रता की कमी को देखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिए जाते हैं।

सेवा विधि -बुनियादी पात्रता/योग्यता निर्धारण-आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के रूप में निर्णय लिया जाना, ऐसी तिथि के किसी भी विस्तार के अधीन:

आयोजित किया गया:पात्रता पर मूल प्रश्न का निर्धारण विज्ञापन की अंतिम तिथि/समय के आधार पर किया जाना चाहिए, जो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है, जब तक कि निर्णय आक्षेपित प्राधिकारी द्वारा विस्तारित नहीं किया जाता है-वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं में से किसी को भी प्रश्न विज्ञापन के समय पूर्व सैनिक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि, निर्विवाद रूप से, वे अभी भी सेवा में थे-प्रानिर्णय गिक नियम और यहां तक कि विज्ञापन के स्पष्टीकरण से यह निर्णय के त नहीं मिलता है कि अपीलकर्ताओं को एक निर्णय भावित तिथि से पूर्व सैनिक माना जा सकता है, प्रानिर्णय गिक तिथि पर वास्तविक सेवा में होने के बावजूद-ऐसे मामले में, सेवा करने की कोई अवधारणा नहीं है।[पैरा 14,15,17-19]

सेवा विधि -एक व्यक्ति को दिया गया प्रमाणन जो एक संभावित तिथि का संकेत देता है जब तक कि वह रोजगार में होगा, ऐसी तिथि **136** सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट **[2023] 14** एस. सी. आर.

135

इंगित किया गया है कि क्या इसे वैध होने की तारीख के रूप में लिया जा सकता है और वास्तव में सेवा से मुक्त किया जा सकता है:

आयोजित किया गया:नहीं-भले ही किसी व्यक्ति को किसी संभावित तिथि का संकेत देते हुए प्रमाण पत्र दिया जाता है जब तक कि वह रोजगार अंतर्गत होगा, परिस्थितियां ऐसी प्रमाण पत्र की तारीख और उस अंतर्गत इंगित सेवानिवृत्ति/इस्तीफे/राहत की संभावित तारीख के बीच मध्यस्थता कर सकती हैं-उदाहरण के लिए, यदि किसी भी कारण से संबंधित व्यक्ति (व्यक्तियों) के खिलाफ कोई कार्यवाही/आरोप लंबित है और/या ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके लिए व्यक्ति को ऐसी कार्यवाही के समापन तक अपने पद से मुक्त नहीं किया जा सकता है

या अन्यथा, प्रमाण पत्र अंतर्गत इंगित ऐसी तारीख को अनिवार्य होने की तारीख के रूप अंतर्गत नहीं लिया जा सकता है और वास्तव अंतर्गत सेवा से मुक्त किया जा सकता है- हालांकि, वर्तमान मामले अंतर्गत, ऐसी तारीख भी संभावित है और उस तारीख तक बहुत बाद अंतर्गत है जिस पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे और यहां तक कि जिस तारीख को आवेदन आमंत्रित किए गए थे।[पैरा 15]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

राकेश कुमार शर्मा बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2013) 11 एस. सी. सी. 58 -

पर भरोसा किया।

डॉ. एम. वी. नायर बनाम भारत संघ (1993) 2 एससीसी 429:उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम अल्पना (1994) 2 एससीसी 723 1994 [1] एससीआर 131; भूपिंदरपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2000) 5 एससीसी 262:गुजरात राज्य बनाम अरविंदकुमार टी तिवारी (2012) 9 एससीसी 545:2012 [7] एससीआर 1072; रेखा चतुर्वेदी (श्रीमती) बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय 1993 पूरक (3) एस. सी. सी. 168:बिहार राज्य बनाम मधु कांत रंजन 2021 एससीसी ऑनलाइन एस. सी. 1262-निर्दिष्ट।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपीलिय अधिकारिता 2023 की सिविल अपील No.7069।

2020 के सीएमडब्ल्यू (ए) पी No.4817 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के दिनांकित 05.03.2022 के निर्णय और आदेश से।

137

सुधीर सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 138

रूप:

आर. बालासुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्ता, संतोष कुमार पांडे, सुश्री संतोष के. आर. विश्वकर्मा, सुश्री सुजाता बागड़ी, देबाशीष मिश्रा, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

परमानंद पांडे, उत्कर्ष पांडे, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणों के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

अहसानउद्दीन अमानुल्लाह, जे।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। 2. छुट्टी दे दी गई।

3. यह अपील सिविल मिस्क में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय (जिसे इसके बाद "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है। रिट (ए) 2020 की याचिका No.4817 दिनांक 05.03.2022 (इसके बाद "विवादित निर्णय" के रूप में संदर्भित) अपीलार्थियों के नेतृत्व में दायर की गई जिसके द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए उनके दावों को खारिज कर दिया गया है।

वास्तविक प्रिज्म:

4. अपीलार्थी संबंधित समय पर सशस्त्र बलों में विभिन्न क्षमताओं में सेवारत थे, जब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (इसके बाद "आयोग" के रूप में संदर्भित) द्वारा ग्राम विकास कार्यालय के पद पर भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। आवेदनों के लिए पंजीकरण 18.01.2016 से शुरू हुआ और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10.02.2016 थी। अपीलकर्ताओं ने नियोक्ताओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र (ओं) (इसके बाद "एनओसी" के रूप में संदर्भित) प्राप्त करने के बाद पूर्व सैनिकों की श्रेणी में आवेदन किया। शुरू में, उनके परिणाम को विभिन्न कारणों से रोक दिया गया था, लेकिन अंततः, उन्हें 29.05.2019 (अपीलकर्ता सं.1 &2) & अस्थायी आधार पर क्रमशः 27.05.2019 (अपीलार्थी संख्या 3) पर। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह अपीलार्थियों को 26.12.2018 पर आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहने के बाद किया गया था।

/

[2023] 14 एस सी आर।

कंप्यूटर अवधारणा के पाठ्यक्रम (इसके बाद "सी. सी. सी. प्रमाण पत्र" के रूप में संदर्भित) के समक्ष होने के संबंध में उनकी योग्यता और अधिक से संबंधित दस्तावेज। हालाँकि, उत्तरदाता नं. द्वारा कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया गया था। 3/जिला विकास कार्यालय, बदायूं ने अपीलकर्ताओं को सं.1 और 2 19.02.2020 पर और अपीलार्थी सं.3 12.02.2020 पर, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पर उनकी नियुक्ति को अमान्य क्यों नहीं माना जाए, वे सशस्त्र बलों में कार्यरत थे और उन्हें पूर्व सैनिकों के रूप में नहीं माना जा सकता था और इसके अलावा उनके पास डी. ओ. ई. ए. सी. सी. 1, अब एन. आई. ई. एल. आई. टी. 2 द्वारा जारी सी. सी. सी. प्रमाण पत्र नहीं था।

5. इसके बाद, 05.05.2020 (अपीलार्थी सं.1 &2) और 28.04.2020 (अपीलार्थी सं. 3) क्रमशः, अपीलार्थियों की नियुक्तियों को अमान्य घोषित करने वाले आदेश पूर्व-उल्लिखित कारणों से जारी किए गए थे, जैसा कि कारण-विवरण सूचना में इंगित किया गया है।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुतियाँ:

6. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दोनों आधारों पर, कारण दर्शाएँ नोटिस गलत था। यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिकारियों का आचरण, उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने

के लिए समय देते हुए और उन्हें स्वीकार कर लिया गया है, यह दर्शाता है कि उनके पास संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए बुनियादी और प्रासंगिक योग्यता थी।

7. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जिस तारीख को अपीलार्थियों की नियुक्ति मानी जा सकती है, वह तारीख है जिस पर नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे और वर्तमान मामले में इसे ध्यान में रखते हुए, जब नियुक्ति पत्र वास्तव में मई, 2019 में जारी किए गए थे, उससे पहले, अपीलार्थी सं।11 31.07.2016 पर जारी किया गया था, अपीलार्थी सं।12 30.11.2016 पर जारी किया गया था और अपीलार्थी सं।13 सशस्त्र बलों से 29.02.2016 पर भी जारी किया गया था। जहाँ तक सी. सी. सी. प्रमाण पत्र के गैर-कब्जे का संबंध है, यह रुख अपनाया गया था कि जिन अपीलार्थियों के पास आवश्यकता से अधिक योग्यता थी और जिनके पास पहले से ही समकक्ष योग्यता थी, उनके मामले (मामलों) की नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी।

1 इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और कंप्यूटर पाठ्यक्रमों का प्रत्यायन।2 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान।

139

सुधीर सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [अहसनूद्दीन अमानुल्लाह, जे.]

140

राज्य और उसके कार्यों द्वारा प्रस्तुतियाँ:

8. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वकील ने अपीलकर्ताओं के नियुक्ति के लिए अयोग्य होने का रुख अपनाया है क्योंकि उनके पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी, इसका कारण यह है कि वे संबंधित तिथि पर पूर्व सैनिक नहीं थे, जब पद का विज्ञापन किया गया था।

9. इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि किसी भी अपीलार्थी के पास विज्ञापन की तारीख पर सी. सी. सी. प्रमाण पत्र नहीं था, जिसे उन्होंने छुपाया था, और जो विज्ञापित पद पर नियुक्त होने के लिए एक आवश्यक योग्यता प्रमाण था।

10. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि फॉर्म भरने के समय तथ्यात्मक स्थिति का खुलासा नहीं करना गंभीर कदाचार के बराबर है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि जब अपीलकर्ताओं को यह प्रदर्शित करने के लिए कि उनके पास सी. सी. सी. प्रमाण पत्र के समतुल्य योग्यता प्रमाण पत्र है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और दस्तावेज 26.12.2018 पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, तब भी वे स्वीकार करते हैं कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र सी. सी. सी. प्रमाण पत्र के समतुल्य नहीं थे।

11. यह भी आग्रह किया गया कि नियुक्ति की तारीख पर पूर्व सैनिकों के रूप में विचार के लिए अपीलकर्ताओं का रुख स्पष्ट रूप से विधि के तय किए गए सिद्धांत के अनुरूप है, जहां विज्ञापन स्वयं बहुत स्पष्ट था कि केवल पूर्व सैनिक ही आवेदन करने के योग्य थे।

12. विद्वान वकील ने संकेत दिया कि अपीलार्थी को जारी एन. ओ. सी. में भी नं.1, यह उल्लेख किया गया था कि वह निर्दिष्ट तिथि के बाद सिविल नियुक्ति के लिए पात्र था जो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से परे थी, और आगे यह कि एन. ओ. सी. ने यह भी उल्लेख किया कि कार्यालय/नियोक्ता को रोजगार कार्यालय में अपीलार्थी के नाम के पंजीकरण पर कोई आपत्ति नहीं थी, जो किसी भी तरह से उसे पूर्व सैनिकों की श्रेणी के अंतर्गत विचार करने का अधिकार प्रदान नहीं कर सकता था। इस प्रकार, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता, मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, कोई भी नागरिक रोजगार नहीं ले सकते थे जब तक कि उन्हें वास्तव में मुक्त, सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त नहीं किया जाता था, जो अंततः नियोक्ता द्वारा लिया जाने वाला निर्णय होगा और प्रमाण पत्र में केवल संकेत का मतलब यह नहीं होगा कि उस तारीख को संकेत दिया गया था कि वे स्वचालित रूप से पूर्व सैनिकों की श्रेणी में आ जाएंगे।

/

[2023] 14 एस सी आर।

13. विद्वान वकील ने इस हद तक तर्क दिया कि अपीलार्थियों का आचरण उनके द्वारा की गई धोखाधड़ी का संकेत देता है। यह कहा गया था कि अपीलकर्ताओं ने वास्तव में ऐसे पद लेने का प्रयास किया था जो उन पूर्व सैनिकों के लिए थे जो वास्तव में बिना रोजगार के थे, न कि उन व्यक्तियों के लिए जो अभी भी सशस्त्र बलों में कार्यरत थे।

विश्लेषण, कारण और निष्कर्ष:

14. रिकॉर्ड के सावधानीपूर्वक अवलोकन के साथ बार में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर चिंतित विचार और विचार करने के बाद, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में किसी भी त्रुटि का पता लगाने में असमर्थ हैं, बहुत कम किसी भी अवैधता के साथ, हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि पात्रता पर मूल प्रश्न का निर्धारण कट-ऑफ तिथि/समय के बिंदु के आधार पर किया जाना चाहिए जो विज्ञापन की तारीख तक ही स्पष्ट हो जाता है, जो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है, जब तक कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा विस्तारित नहीं किया जाता है। वर्तमान परिदृश्य में, अपीलकर्ताओं में से किसी को भी प्रश्न विज्ञापन के समय पूर्व सैनिक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि निर्विवाद रूप से वे अभी भी सेवा में थे। इस न्यायालय ने प्रासंगिक नियमों और यहां तक कि विज्ञापन के स्पष्टीकरण की भी जांच की है। हमें डर है कि वे यह संकेत नहीं देते हैं कि अपीलकर्ताओं को प्रासंगिक तिथि पर वास्तविक सेवा में होने के बावजूद, एक संभावित तिथि से पूर्व सैनिक माना जा सकता है। इस प्रकार, कम से कम इस मामले में, सेवारत कर्मियों को पूर्व सैनिक माने जाने की कोई अवधारणा नहीं है। इस न्यायालय के लिए अन्यथा ठहराना या व्याख्या करना उचित नहीं होगा। अन्यथा, यदि हम इस तरह के रास्ते पर चलते हैं, तो यह अपीलार्थियों के समान बड़ी संख्या में अन्य लोगों के लिए अन्याय होगा, जो विज्ञापन की

तारीख पर पूर्व सैनिक नहीं थे, लेकिन बाद में श्रेणी के अंतर्गत आए, लेकिन प्रासंगिक समय पर आवेदन नहीं किया। यह चिंता पहली बार सामने नहीं आई है।

राकेश कुमार शर्मा बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), (2013) 11 एस. सी. सी. 58 में, यह

न्यायालय ने टिप्पणी की:

‘22. यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि वर्तमान अपीलार्थी की तरह बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवार हो सकते हैं जो नियमों/विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार पात्र नहीं थे क्योंकि उनके पास आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पर आवश्यक पात्रता नहीं थी। अपीलार्थी को कोई भी लाभ प्रदान करना उल्लंघन होगा

समानता का सिद्धांत, मौलिक अधिकारों अंतर्गत रीढ़

हमारा संविधान। हो सकता है कि बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवारों के पास 141 न हों।

सुधीर सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [अहसनूद्दीन अमानुल्लाह, जे.] 14 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

वैधानिक नियमों और विज्ञापन की शर्तों का पालन करते हुए खुद को अयोग्य मानते हुए आवेदन किया।’

(जोर दिया गया) 15. यह न्यायालय यह कहने के लिए रुक जाएगा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई स्थिति इस सरल आधार पर तार्किक है कि भले ही किसी व्यक्ति को एक संभावित तिथि का संकेत देते हुए प्रमाण पत्र दिया जाता है जब तक कि वह रोजगार में होगा, परिस्थितियां ऐसी प्रमाण पत्र की तारीख और उसमें इंगित सेवानिवृत्ति/इस्तीफे/राहत की संभावित तारीख के बीच मध्यस्थता कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी कारण से संबंधित व्यक्ति (व्यक्तियों) के खिलाफ कोई कार्यवाही/आरोप लंबित है और/या ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके लिए व्यक्ति को ऐसी कार्यवाही के समापन तक या अन्यथा अपने पद से मुक्त नहीं किया जा सकता है, तो प्रमाण पत्र में दर्शाई गई ऐसी तारीख को वास्तविक रूप से सेवा से मुक्त होने की तारीख के रूप में नहीं लिया जा सकता है। हालांकि, तत्काल स्थिति में, ऐसी तारीख भी संभावित है और बहुत बाद में उस तारीख तक जिस दिन आवेदन आमंत्रित किए गए थे और यहां तक कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख तक भी। इस प्रकार, केवल इसी आधार पर, पूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत विचार के अधिकार का अपीलार्थियों का दावा विफल हो जाता है।

16. राकेश कुमार शर्मा (ऊपर) मामले में, इस न्यायालय ने, नोटिस करने के बाद, हस्तक्षेप किया

अन्य बातों में, डॉ. एम. वी. नायर बनाम भारत संघ, (1993) 2 एस. सी. सी. 429; उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम अल्पना, (1994) 2 एस. सी. सी. 723; भूपिंदरपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2000) 5 एस. सी. सी. 262, और; गुजरात राज्य बनाम

अरविंदकुमार टी. तिवारी, (2012) 9 एस. सी. सी. 545 ने दोहराया कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार मूल योग्यता का निर्णय लिया जाना है, बशर्ते संबंधित प्राधिकारी द्वारा ऐसी तिथि के किसी भी विस्तार के अधीन हो। रेखा में

चतुर्वेदी (श्रीमती) बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय, 1993 पूरक (3) एस. सी. सी. 168 3,

प्रस्ताव को निम्नानुसार व्यक्त किया गया था:

‘10. यह तर्क कि उम्मीदवारों की आवश्यक योग्यता की जांच चयन की तारीख के संदर्भ में की जानी चाहिए और आवेदन करने की अंतिम तिथि के संदर्भ में नहीं, केवल अस्वीकार किए जाने के लिए कहा जाना चाहिए। चयन की तारीख निश्चित रूप से है

3 हालाँकि, न्यायालय ने इस आधार पर नियुक्तियों में बाधा नहीं डालने का विकल्प चुना कि संबंधित नियुक्तियों द्वारा 8 वर्षों से अधिक की सेवा दी गई थी।

अनिश्चित। ऐसी तिथि की जानकारी के अभाव में पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह बताने में असमर्थ होंगे कि वे प्रश्न पदों के लिए योग्य हैं या नहीं, यदि उन्होंने अभी तक योग्यता प्राप्त नहीं की है। जब तक विज्ञापन में एक निश्चित तिथि का उल्लेख नहीं किया जाता है जिसके संदर्भ में योग्यता का निर्धारण किया जाना है, चाहे वह तिथि चयन की हो या अन्यथा, उन उम्मीदवारों के लिए यह संभव नहीं होगा जिनके पास योग्यता में आवश्यक योग्यता नहीं है, वे पदों के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते हैं। तिथि की अनिश्चितता भी एक विपरीत परिणाम का कारण बन सकती है, अर्थात्, यहां तक कि वे उम्मीदवार जिनके पास प्रेजेंट में योग्यता नहीं है और भविष्य की अनिश्चित तिथि पर उन्हें प्राप्त करने की संभावना है, वे पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं जिससे आवेदनों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन

इससे भी बदतर परिणाम हो सकता है, जिसमें यह कदाचार के लिए एक गुंजाइश छोड़ सकता है। चयन की तारीख को इस तरह से संशोधित या हेरफेर किया जा सकता है कि कुछ आवेदकों का मनोरंजन किया जा सके और दूसरों को मनमाने ढंग से अस्वीकार कर दिया जा सके। इसलिए, विज्ञापन/अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि के अभाव में आवेदन आमंत्रित करने के लिए जिसके संदर्भ में आवश्यक योग्यता का आकलन किया जाना चाहिए, योग्यता की जांच के लिए केवल एक निश्चित तिथि आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी।...

(जोर दिया गया) 17. न्यायालय ने बिहार राज्य बनाम मधु कांत मामले में अपने निर्णय के माध्यम से

रंजन, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1262 ने यह भी विचार रखा कि 'के अनुसार

एक उम्मीदवार/आवेदक को विज्ञापन में उल्लिखित कट-ऑफ तिथि से पहले विज्ञापन विधि अनुसार सभी शर्तों/पात्रता मानदंडों का पालन करना होगा, जब तक कि भर्ती प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया न जाए।

18. उपरोक्त विश्लेषण में, हालांकि न्यायालय को सी. सी. सी. प्रमाण पत्र के समतुल्यता प्रस्ताव के प्रश्न में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि उस पर तर्क दिए गए थे, इसलिए हम दोहरा सकते हैं कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से आवश्यक योग्यता को निर्दिष्ट किया गया था जो सी. सी. सी. प्रमाण पत्र था। अपीलार्थी इस तरह की समानता दिखाने के लिए उपस्थित होने के अवसर के बावजूद, ऐसा करने में विफल रहने के कारण, इस मामले में कुछ भी नहीं बचा है।

19. मामले पर पूरी तरह से विचार करने के बाद, योग्यता से रहित होने के कारण अपील खारिज कर दी जाती है। आक्षेपित निर्णय निर्णय फनिर्णय ैनिर्णय सनिर्णय लनिर्णय ेनिर्णय निर्णय कनिर्णय ोनिर्णय निर्णय बनिर्णय रनिर्णय कनिर्णय रनिर्णय ानिर्णय रनिर्णय निर्णय रनिर्णय खनिर्णय ानिर्णय निर्णय गनिर्णय यनिर्णय ानिर्णय निर्णय हनिर्णय ैनिर्णय । निर्णय

143

सुधीर सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [अहसनूद्दीन अमानुल्लाह, जे.]

20. हालांकि, अपीलकर्ताओं को उस अवधि के लिए किए गए किसी भी भुगतान की वसूली नहीं की जाएगी जब उन्होंने वास्तव में ग्राम विकास अधिकारी के रूप में काम किया है। यदि ऐसी कोई वसूली पहले ही की जा चुकी है, तो उसे अपीलार्थियों को तुरंत वापस कर दिया जाए।

21. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

याचिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे